16/5/18

आज P.O.H. के कोर्ट के समक्ष
जनरल ... होने से
आदेश
की प्रार्थना व दिनांक 25/7/18
को पेश हो

राजस्व लोक न्यायालय अभियान
न्याय आपके द्वार 2018

6-8-18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प बेहट सिण्डोली में पेश हुई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया प्रकरण पुष्टता कैम्प, सुविधा का संतुलन तथा अनुकम्पा नीति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रतिबन्धित किया जाना न्यायोचित होगा। अप्रा. प्रार्थीगण का प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबन्धित किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय से प्रतिबन्धित किया जाता है कि ग्राम सिण्डोली बहीखाता में दर्ज भूमि ख.नं. 629 रकबा 0.44 है. तथा ख.नं. 637 रकबा 0.43 है. भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे में दखलअंदाजी नहीं करें तथा वादग्रस्त भूमि के निर्माण कार्य नहीं करें। प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए तथा एकतरफा प्रतिबन्ध लगाया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व लोक अदालत कैम्प बेहट सिण्डोली के मामले आज में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
लोहा

14427